दिसम्बर, 2009 के दौरान निष्पादन

- माह के दौरान आयोग ने आयोग में प्राप्त 468 संदर्भों में सलाह दी ।

- मुख्य तकनीकी परीक्षक की तकनीकी जांच के फलस्वरूप दिसम्बर, 09 के माह में विभिन्न संगठनों द्वारा 1,45,82,087/- रू0 की वसूलियां की गई ।

2. आयोग की सिफारिशों पर प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा की जानेवाली कार्रवाई का विवरण निम्न प्रकार है :-

(i) **निम्न विभागों के 20 अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन चलाना:-**

क.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय	:	5
ख.	आंध्रा बैंक	:	2
ग.	गृह मंत्रालय	:	2
घ.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड	:	2
ङ	बैंक ऑफ इंडिया	:	1
च.	डाक विभाग	:	1
छ.	स्वास्थ्य विभाग	:	1
ज.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	:	1
झ.	रेल मंत्रालय	:	1
ञ.	वाणिज्य मंत्रालय	:	1
ट.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	:	1
ठ.	विदेश मंत्रालय	:	1
ड.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	:	1

(ii) **आयोग ने 70 अधिकारियों के विरूद्ध बड़ी शास्ति की कार्यवाहियाँ प्रारंभ करने की सलाह दी ।**

क.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	:	20
ख.	रेल मंत्रालय	:	17
ग.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0	:	11
घ.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि0	:	04
ङ	दिल्ली नगर निगम	:	03
च.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	:	02
छ.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड	:	02
ज.	सिडबी	:	01
झ.	भारतीय मानक ब्यूरो	:	01
ञ.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	:	01
ट.	डाक विभाग	:	01

ठ.	उपभोक्ता मामले विभाग	:	01
ड.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि0	:	01
ढ.	इंडियन ऑयल का0 लि0	:	01
ण.	कोल इंडिया लि0	:	01
त.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि0	:	01

iii) **आयोग ने 66 अधिकारियों के विरूद्ध बड़ी शास्ति लगाने की सलाह दी ।**

क.	दिल्ली नगर निगम	:	13
ख.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	:	11
ग.	रेल मंत्रालय	:	09
घ.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड	:	06
ङ	वाणिज्य मंत्रालय	:	04
च.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0	:	04
छ.	केन्द्रीय भण्डारण नि0 लि0	:	03
ज.	हिन्दुस्तान पेपर निगम	:	03
झ.	दूरसंचार विभाग	:	02
ञ.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0	:	02
ट.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	:	02
ठ.	वस्त्र मंत्रालय	:	02
ड.	नेशनल अल्युमिनियम कं0 लि0	:	02
ढ.	दिल्ली ट्रांस्को लि0/आई.पी.जी.सी.एल.	:	01
ण.	सी.एस.आई.आर.	:	01
त.	एंड्रूय यूल एंड कं0 लि0	:	01

(iv) **दिसम्बर, 2009 में शिकायतों का निपटान**

क.	अन्वेषण एंव रिपोर्ट के लिए भेजी गई	:	101
ख.	आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई	:	1021

लोकहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण के अंतर्गत शिकायतें

क.	अन्वेषण एंव रिपोर्ट के लिए भेजी गई	:	06
ख.	आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई	:	12

(v) **दिसम्बर, 2009 के दौरान मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन ने 16 मामलों में गहन जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की** जिनमें से 10 सिविल कार्यों की, 02 विद्युत तथा 04 भंडार/खरीद कार्यों की थी । मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन के गहन जाँच के परिणामस्वरूप **माह के दौरान 1,45,82,087/- रू0 की वसूलियाँ की गई ।**

3. आयोग की सिफारिशों पर प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण नीचे दिया गया है :

(i) सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारियों ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अधिकारिता में आने वाले **12 अधिकारियों के विरूद्व अभियोजन की स्वीकृति** जारी की**:**

क.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय	:	05
ख.	पंजाब नेशनल बैंक	:	02
ग.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	:	01
घ.	विदेश मंत्रालय	:	01
ड.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड	:	01
च.	लघु उद्योग मंत्रालय	:	01
छ.	वाणिज्य मंत्रालय	:	01

(ii) **68 अधिकारियों पर बड़ी शास्ति लगाई गई ।**

क.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 0	:	33
ख.	रेल मंत्रालय	:	08
ग.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	:	06
घ.	दिल्ली नगर निगम	:	05
ड.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड	:	05
च.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि0	:	03
छ.	दूरसंचार विभाग	:	01
ज.	न्यू इंडिया एश्योरंस कं0 लि0	:	01
झ	इंडियन ऑयल का0 लि0	:	01
ञ.	जल संसाधन मंत्रालय	:	01
ट.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	:	01
ठ.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	:	01
ड.	शहरी विकास मंत्रालय	:	01
ढ.	गृह मंत्रालय	:	01

(ऐसे मामलों की सूची, जहां बड़ी शास्तियां लगाई गई, संलग्नक-'क' में हैं)

(iii) आयोग द्वारा दी गई सलाह के आधार पर, निम्न अधिकारियों पर कठोर बड़ी शास्ति लगाई गई ।

क.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड	:	5
ख.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	:	4
ग.	केनरा बैंक	:	3
घ.	रेल मंत्रालय	:	2
ड.	जल संसाधन मंत्रालय	:	1

दिसम्बर, 2009 तक निष्पादन

क्रम संख्या	सलाह का स्वरूप	मामलों की संख्या
1.	अभियोजन हेतु दी गई सलाह	178
2.	स्वीकृत अभियोजन	196
3.	बड़ी शास्ति की कार्यवाहियों हेतु दी गई सलाह	1247
4.	जाँच के पश्चात् बड़ी शास्ति लगाने हेतु दी गई सलाह	724
5.	लगाई गई बड़ी शास्तियाँ	710
6.	लघु शास्ति की कार्यवाहियाँ प्रारंभ करना	861
7.	लघु शास्ति लगाने हेतु दी गई सलाह	207
8.	लगाई गई लघु शास्तियाँ	796
9.	दोष मुक्ति/मामला बन्द करना	2312
10.	दी गई सतर्कता निकासी	366
11.	मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन द्वारा गहन जांचों की संख्या	127
12.	मुख्य तकनीकी परीक्षक के अन्वेषणों के परिणामस्वरूप की गई वसूलियॉ	68.63 करोड़ रू0

4. **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने** अभियोजन के लिए स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात **182 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किये । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** को विभिन्न विभागों से **119 मामलों में अभियोजन के लिए स्वीकृति भी प्राप्त हुई ।** आयोग द्वारा इस मामले की ध्यानपूर्वक निगरानी की जा रही है ताकि सम्बन्धित संगठनों से उचित समय अवधि के भीतर स्वीकृति प्राप्त की जा सके जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था । तथापि, अभियोजन की स्वीकृति दिए जाने में अभी भी विलंब होता है ।

5. अनेक महत्वपूर्ण संगठनों, जैसे दिल्ली परिवहन निगम, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि0 तथा के.आई.ओ.सी.एल. में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पदों को भरे जाने में लगातार विलंब पर आयोग को गहरी चिन्ता है । सरकार से लगातार अनुरोध किया जा रहा है ।

6. आयोग ने माह के दौरान, विभिन्न संगठनों में सतर्कता प्रशासन का निरीक्षण करते समय, कुछ कमियां पाईं तथा निम्नलिखित विवरणों के अनुसार संगठनों में प्रक्रिया संबंधी/सर्वांगी सुधार करने की सलाह दी:-

- आयोग ने दिल्ली नगर निगम को सलाह दी थी कि सीमेन्ट मोर्टर तथा ईंटों के नमूनों को इकट्ठा करते समय निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से अनुपालन करने के संबंध में सभी संबंधितों को निदेश जारी करे ऐसा न करने पर चूककर्ता के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करें । दिल्ली नगर निगम को यह भी सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई थी कि एक माह में सभी संबंधितों को निदेश जारी कर दिए जाएं तथा संबंधित विभागों द्वारा विधिवत पावती दी जाए ।

- आयोग ने यह प्रेक्षित किया था कि कि मै0 एनवाइरोटेक ऑवरसीज लि0, जो एक अयोग्य फर्म थी, तकनीकी रूप से योग्यता प्राप्त थी तथा बाद में वित्तीय बोलियों के खुलने के बाद एल1 थी । तथापि, दिल्ली जल बोर्ड के संदर्भ से यह देखा गया था कि संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई संभाव्य नहीं थी क्योंकि मामला समय-बाधित हो गया था । आयोग ने दिल्ली जल बोर्ड को यह सलाह दी थी कि भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से बचाव के सभी रास्तों को बन्द करना सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली सुधार करें ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने वर्ष 2009 में पारदर्शिता पर तथा प्रणाली निर्माण पर बल दिया है । आयोग ने अनेक दिशानिर्देश जारी किए तथा इस संबंध में अपने पिछले दिशानिर्देशों को दोहराया । आयोग ने धोखाधड़ी तथा अन्य आर्थिक अपराधों का पता लगाने की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है विशेषकर वित्तीय तथा बैंकिंग क्षेत्र में । प्रौद्योगिकी उत्थान एक अन्य क्षेत्र है जो इस सम्पूर्ण वर्ष में भी ध्यानाकर्षण का केन्द्र बिन्दु रहा है ।

आयोग ने अनिन्द्य प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों को सदस्य के रूप में लेते हुए एक सतर्कता सलाहकार परिषद का गठन किया है जो आयोग को इसके सांविधिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए समय-समय पर सलाह देते हैं । परिषद की 8वीं बैठक दिनांक 30.03.2009 को आयोजित की गई थी ।

आयोग ने दिनांक 22.11.2006 के परिपत्र सं0 40/11/06 तथा दिनांक 18.04.2007 के परिपत्र सं0 13/4/07 द्वारा प्रौद्योगिकी उत्थान पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जो विभिन्न संगठनों के साथ वार्षिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में कार्यसूची की मुख्य मद के रूप में निरंतर आयोग के निरीक्षणाधीन रहते हैं । आयोग ने इस विषय पर नए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं । प्रापण तथा निविदाएं भी आयोग के निरीक्षण का हिस्सा रहे हैं तथा वर्ष के दौरान इस विषय पर नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ।

इसी प्रकार, प्रक्रियात्मक पक्ष में, आयोग द्वारा दी जा रही सलाह को और अधिक सरल एवं कारगर बनाया गया ।

आयोग प्रापण में बेहतर प्रथा का प्रचार करने के अपने उद्देश्य में सत्यनिष्ठा संधि के प्रयोग को प्रोत्साहित करता रहा है । संगठनों में सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन पर वर्ष के दौरान एक एस.ओ.पी. जारी किया गया ।

वर्ष के दौरान जारी किए गए परिपत्रों का सारांश

- आयोग ने दिनांक 13.01.2009 के अपने परिपत्र सं-01/01/09 द्वारा सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को अनुदेश जारी किए कि ई-निविदा समाधान के कार्यान्वयन के लिए अनुप्रयोग सेवा उपलब्ध कराने वालों के चयन के मामले में स्वच्छ, पारदर्शी तथा खुली निविदा प्रक्रिया का अनुवर्तन करें ।

- आयोग ने दिनांक 15/1/2009 के अपने परिपत्र सं-02/01/09 द्वारा सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को अनुदेश जारी किए कि वे अपने संगठनों/विभागों में अनुशासनिक प्राधिकारी की जानकारी में लाएं कि अंतिम आदेश पास करते समय अनुशासनिक प्राधिकारी यह लिखें कि आयोग से सलाह ले ली गई है तथा मनोनियोग का उचित उपयोग करके अंतिम आदेश पास किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पास करते समय, आयोग की सलाह शब्दशः उद्धृत नहीं करनी चाहिए ।

- आयोग ने दिनांक 18.02.2009 के अपने परिपत्र सं-3/02/09 द्वारा अपने दिनांक 1/12/08 के परिपत्र सं.32/12/08 द्वारा जारी पिछले अनुदेशों को दोहराया जो आयोग की प्रथम/द्वितीय चरण की सलाह मांगते समय संगठन की सिफारिशों के साथ संलग्न की जाने वाली सूचना के संबंध में था ऐसा न करने पर संदर्भ संबंधित संगठनों को लौटा दिए जाएंगे तथा संबंधित संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे ।

- आयोग ने दिनांक 27.02.2009 के अपने परिपत्र सं-04/02/09 द्वारा सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को, जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत आयोग द्वारा

भेजी गई शिकायतों पर अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि दो सप्ताह से बढ़ाकर एक माह किए जाने संबंधी अनुदेश जारी किए ।

- आयोग ने दिनांक 1.4.2009 के अपने परिपत्र सं0 8/4/09 द्वारा सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों में आर.डी.ए. के लिए आरोप-पत्र तैयार करने के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं ।

- आयोग ने दिनांक 5.6.2009 के अपने परिपत्र सं0 14/6/09 द्वारा सतर्कता प्रशासन में सुधार-भ्रष्टाचार के बारे में जनसाधारण को सुग्राही बनाने के संबंध में अपने पिछले अनुदेशों को दोहराया है । इन आदेशों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी आदि को रिश्वत ना देने के आयोग के संदेश के बारे में सभी विभागों/संगठनों को अपने प्रत्येक कार्यालय के स्वागत कक्ष में एक मानक सूचना पट्ट सुस्पष्ट रूप से लगाना है तथा रिश्वत की मांग के संबंध में जिनके द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है उन संबंधित अधिकारियों का नाम, पदनाम, तथा दूरभाष नं0 प्रदर्शित किया जाए (संलग्नक 'ख' के रूप में परिपत्र की प्रति संलग्न है) ।

- आयोग ने दिनांक 1.7.2009 के अपने परिपत्र सं0 15/07/09 द्वारा सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को अनुदेश जारी किए थे कि जनता, ठेकेदारों, विक्रेताओं, आपूर्तिकारों आदि से सभी प्रकार की शिकायतें/समस्याएं प्राप्त करने, संचालन करने तथा कार्रवाई करने के लिए अपने संगठनों में एक शिकायतों पर कार्रवाई करने की प्रणाली बनाएं । नीति में यह स्पष्ट होना चाहिए कि संगठन/विभाग में किसी भी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई किसी भी शिकायत/समस्या को संवीक्षा तथा कार्रवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी को आवश्यक रूप से भेजा जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, मुख्य सतर्कता अधिकारी संबंधित विभाग/संगठन के अन्य प्रभागों/एककों द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों/समस्याओं आदि की एक सतत आधार पर संवीक्षा करें तथा सुनिश्चित करें कि यदि इन शिकायतों में सतर्कता पहलू वाले मुद्दें/आरोप हैं तो इन्हे सतर्कता विभाग में उचित रूप से कार्रवाई करने हेतु उन्हें भेजा जाए ।

- आयोग ने अपने पिछले परिपत्रों को दोहराते हुए दिनांक 14.07.2009 के परिपत्र सं0 17/7/09 द्वारा दिशानिर्देश जारी किए कि निविदा/खरीद प्रदान करने के विवरण का सारांश वेबसाइट पर डाला जाए ताकि बिना किसी आगे विलंब के लेनदेन के मूल्य का 75% कवर हो तथा व्यक्तिगत रूप से इसे सत्यापित करके आयोग को भेजी जाने वाली अपनी मासिक रिपोर्ट में अनुपालन स्थिति दर्शाएं । (अनुबंध-ख में परिपत्रों की प्रति है)

- आयोग ने दिनांक 06.08.2009 के अपने परिपत्र सं0 21/08/09 द्वारा सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को अनुदेश जारी किए थे कि आयोग की प्रथम चरण की सलाह मांगने के लिए, मामलों को भेजते समय, अन्वेषण रिपोर्ट की गुणवत्ता तथा फोकस का सुधार करें । आयोग ने एक नया रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी बनाया जिसमें सतर्कता रिपोर्ट, निर्धारित फॉर्मेट में निर्दिष्ट मानदंड के विस्तृत रूप से समरूप होना चाहिए, मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा की गई

सिफारिशों पर अन्वेषण रिपोर्ट मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आश्वासन ज्ञापन के साथ होनी चाहिए जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय मुख्य सतर्कता अधिकारी जिम्मेदारी लें तथा विवेक का व्यापक प्रयोग किए जाने का आश्वासन दें ।

- आयोग ने दिनांक 28.08.2009 के अपने परिपत्र सं0 25/08/09 द्वारा अभियोजन की स्वीकृतियों की संवीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञों की समिति का कार्यकाल दिनांक 31.10.2009 तक बढ़ाया ।

- आयोग ने दिनांक 03.08.2009 के अपने परिपत्र सं0 20/08/09 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित आर.आर.बी. के सतर्कता प्रशासन को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कुछ उपक्रमण जारी किए ।

- आयोग ने दिनांक 11.08.2009 के अपने परिपत्र सं0 22/08/09 द्वारा स्पष्ट किया कि सत्यनिष्ठा पैक्ट के प्रभाव पर एक समीक्षा प्रणाली आवधिक रूप से की जाए तथा आयोग को रिपोर्ट की जाए । इसके अतिरिक्त,ऐसी समीक्षा वार्षिक आधार पर होनी चाहिए । सभी संगठन जिन्होंने सत्यनिष्ठा पैक्ट का अंगीकरण किया है मासिक रिपोर्ट के माध्यम से समीक्षा प्रणाली के अनुपालन की रिपोर्ट दें ।

- आयोग ने दिनांक 17.09.2009 के अपने परिपत्र सं0 29/09/09 द्वारा यह स्पष्ट किया था कि ई-निविदा समाधान हेतु स्वच्छ, पारदर्शी तथा खुली निविदा प्रक्रिया को सुनिश्चित करते समय संगठन इस दिशा में उचित सावधानी बरतें कि किसी भी दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रणाली में प्रभावकारी सुरक्षा प्रावधान कर दिए गए हैं । यह परिपत्र, ई-निविदा प्रणाली में सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर कुछ दिशानिर्देश उपलब्ध कराता है जिसे संबंधित संगठनों द्वारा अनुपालन किया जाना है ताकि आंकड़े क्षति, प्रकटन तथा हेरा फेरी के जोखिम से, उनको सुरक्षित किया जा सके ।

- आयोग ने दिनांक 17.09.2009 के अपने परिपत्र सं0 30/09/2009 द्वारा विभिन्न संगठनों/विभागों के सतर्कता कोष्ठ में कार्यरत सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों तथा अधिकारियों को अपने इन अनुदेशों को पुन: दोहराया है कि प्रशिक्षण पर विदेश यात्रा करने से पहले आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा । इसके अतिरिक्त, सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को मासिक रिपोर्ट के साथ, विदेश यात्रा का सम्बद्ध विवरण आयोग को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है ।

- आयोग ने दिनांक 17.09.2009 के अपने परिपत्र सं0 28/09/09 द्वारा आयोग ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सतर्कता कोष्ठ में कार्यरत मुख्य सतर्कता अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा शेयर खरीदने के मामले में अनुदेश जारी किए थे कि डी.पी.ई. के दिनांक 11.08.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं0 15(7)2002-डीपीई(जीएम)-जीएल-96 का अनुपालन

किया जाए जो निर्धारित करता है कि "केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सतर्कता कोष्ठ में कार्यरत मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, जो संबंधित सी.पी.एस.ई. में कर्मचारी नहीं हैं वे सी.पी.एस.ई. के आंबटन के लिए योग्य नहीं होंगे । ऐसे असाधारण लाभ सी.पी.एस.ई. में सतर्कता प्रशासन का निरीक्षण करने में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की स्वतंत्रता तथा वस्तुनिष्ठता पर प्रभाव डालते हैं" ।

- आयोग ने दिनांक 29.10.2009 के अपने परिपत्र सं0 30/10/2009 द्वारा उन पुनर्विचार प्रस्तावों की संवीक्षा के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों वाली विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है, जहां आयोग तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने संदिग्ध लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति की सलाह दी है ।

- आयोग ने दिनांक 09.11.2009 के अपने परिपत्र सं0 31/10/09 द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को निदेश दिया कि डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अनुवर्ती अपनी खरीद वरीयता नीति का प्रतिपादन करने के संबंध में, यदि कोई है तो, आयोग को सूचित करें ।

वार्षिक क्षेत्रीय समीक्षा सभाएं - 2009

आयोग ने वर्ष 2009 के दौरान महत्वपूर्ण संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ वार्षिक क्षेत्रीय समीक्षा सभाएं (4 क्षेत्र) आयोजित की जिनमें 100 से अधिक मुख्य सतर्कता अधिकारियों ने भाग लिया ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन

आयोग ने 3 से 7 नवम्बर 2009 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन किया । सभी संगठनों/विभागों ने सप्ताह का अनुपालन किया तथा प्रत्येक संगठन/ विभाग की विभिन्न गतिविधियों की रिपोर्ट आयोग में प्राप्त की जा रही है । सप्ताह के दौरान, नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से देश के सभी महत्वपूर्ण समाचार-पत्रों में एक विज्ञापन दिया गया तथा एक एस.एम.एस. अभियान चलाया गया ।

सत्यनिष्ठा संधि का अंगीकरण

वर्ष 2009 के अंत में 44 संगठनों ने अपने संगठनों में सत्यनिष्ठा संधि प्रारंभ/क्रियान्वित की । वर्ष के दौरान आयोग ने इन संगठनों के लिए आई.ई.एम. के नाम अनुमोदित किए । आयोग ने कुछ बड़े संगठनों के साथ सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा भी की ।

अनुबंध-क

ऐसे मामलों की सूची जिनमें दिसम्बर, 2009 के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा बड़ी शास्ति लगाई गई

क्र. सं.	नाम	पदनाम	संगठन	आयोग में प्राप्त अंतिम आदेश	लगाई गई शास्ति
1	के आर मीणा	तत्कालीन सदस्य सचिव	रेल मंत्रालय	03.12.2009	एक वर्ष के लिए वेतन के समय मान में दो चरणों द्वारा निचले चरण की कटौती
2	सिंह पी एन	ओ एस	रेल मंत्रालय	03.12.2009	3 वर्षों की अवधि के लिए मासिक पेंशन में 25% की कटौती
3	डी दत्ता	वरिष्ठ डी एस ओ	रेल मंत्रालय	03.12.2009	एक वर्ष की अवधि के लिए वर्तमान पे बैंड में तीन वेतनवृद्धियों द्वारा निचले चरण की संचयी प्रभाव के साथ तत्काल प्रभाव के साथ कटौती
4	अमरिन्दर मलिक	वरिष्ठ एस ओ	रेल मंत्रालय	03.12.2009	ग्रुप बी से ग्रुप सी में पदावनत
5	बी एन पांडे	ए ए	रेल मंत्रालय	03.12.2009	अनिवार्य सेवानिवृति
6	राजेन्द्र कुमार	वरिष्ठ एस ओ	रेल मंत्रालय	03.12.2009	भविष्य की वेतनवृद्धियों तथा वरिष्ठता में बिना स्थगन के 2 माह की अवधि के लिए एसओ/लेखा के पद से वेतन की कटौती
7	रमेश कुमार	सी ए	रेल मंत्रालय	03.12.2009	रेलवे सेवा से बर्खास्त
8	आर पी कौशल	एस पी ओ	रेल मंत्रालय	21.12.2009	वेतन में भविष्य की वेतनवृद्धियों पर स्थगन प्रभाव के साथ दो वर्षों की अवधि के लिए उसी समय

					मान में दो चरणों द्वारा कटौती
9	राम नारायण	तत्कालीन टी डी ई	दूरसंचार विभाग	16.12.2009	संचयी प्रभाव के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए वेतन के समय मान में निचले चरण की कटौती (यू.पी.एस.सी.)
10	नायक डी के	विकास अधिकारी	न्यू इंडिया एश्योरेंस कं0 लि0	01.12.2009	अगली तीन वार्षिक ग्रेड वेतनवृद्धियों को रोका गया जैसे और जब स्थाई रूप से देय हों
11	डी एस पई	अधिकारी	केनरा बैंक	01.12.2009	कोई वेतनवृद्धि नहीं तथा भविष्य की वेतनवद्धियों को स्थगित करते हुए 2 वर्षों के लिए 2 चरणों द्वारा कटौती
12	एस एन एस सुब्रामनियन	अधिकारी	केनरा बैंक	01.12.2009	संचयी प्रभाव के साथ 2 वर्षों के लिए 2 चरणों द्वारा कटौती
13	रवि सेठी	सी एम	केनरा बैंक	01.12.2009	सेवा से हटाया गया जो भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी ।
14	डी सी नरनोलिया	प्रबंधक	केनरा बैंक	01.12.2009	सेवा से हटाया गया जो भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी ।
15	शेखर चन्द्रा	सी एम	केनरा बैंक	01.12.2009	कोई वेतनवृद्धि नहीं तथा भविष्य की वेतनवद्धियों को स्थगित करते हुए 2 वर्षों के लिए 2 चरणों द्वारा कटौती
16	पी आर भाटकर	भूतपूर्व सी एम	केनरा बैंक	01.12.2009	सेवा से हटाया गया जो भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी ।
17	स्वर्ण एम कामथ	अधिकारी	केनरा बैंक	01.12.2009	बर्खास्तगी जो भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता है
18	प्रकाश हान्डा	सी एम	केनरा बैंक	01.12.2009	संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए 1 चरण द्वारा

					कटौती
19	अली लायक	वरिष्ठ प्रबंधक	केनरा बैंक	01.12.2009	सेवा से हटाया गया जो भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी ।
20	जे जे एस मधोक	तत्कालीन मंडल प्रबंधक	ओरिएंटल इंश्योरेंस कं0 लि0	03.12.2009	अन्य मामले में सेवा से हटाया गया ।
21	आर के गुप्ता	शाखा प्रबंधक	ओरिएंटल इंश्योरेंस कं0 लि0	03.12.2009	वेतन के समय मान में दो चरणों द्वारा स्थाई रूप से पदावनत किया गया ।
22	अजय प्रताप सिंह	विकास अधिकारी	ओरिएंटल इंश्योरेंस कं0 लि0	04.12.2009	40,000/- रू0 की वसूली के अलावा तीन चरणों द्वारा मूल वेतन में कटौती
23	एम डी वरदपांडे	डी जी एम	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	04.12.2009	डब्ल्यू.सी.ई. समयमान में 5 चरणों द्वारा मूल वेतन में कटौती
24	आर एस वर्मा	डी जी एम (सेवानिवृत्त)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	04.12.2009	एक वर्ष की अवधि के लिए पेंशन के पांचवे हिस्से का आहरण
25	एस सहस्त्रनाम	ए जी एम	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	04.12.2009	एक वर्ष की अवधि के लिए वेतन के समय मान में दो चरणों द्वारा मूल वेतन की कटौती
26	ए टी मोहन्ती	विकास अधिकारी	ओरिएंटल इंश्योरेंस कं0 लि0	10.12.2009	वेतन के समय मान में एक चरण द्वारा मूल वेतन में कटौती
27	एम वी वी एस पई	एमएमजीएस-III	भारतीय स्टेट बैंक	11.12.2009	2 चरणों द्वारा कटौती
28	गोयल कैलाश	डी जी एम	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	11.12.2009	संचयी प्रभाव के साथ एक वर्ष के लिए एक चरण द्वारा मूल वेतन में कटौती
29	के बालकृष्णन	प्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	18.12.2009	सीई के साथ वेतन के समय मान में एक चरण द्वारा कटौती
30	मैथ्यू वर्गीज	ए जी एम	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	18.12.2009	सेवा से बर्खास्त
31	के पदमनाभन	प्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	18.12.2009	सीई के साथ वेतन के समय मान में एक चरण

					द्वारा कटौती
32	टी सी राधाकृष्णन	प्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	18.12.2009	सीई के साथ वेतन के समय मान में एक चरण द्वारा कटौती
33	वी के मल्होत्रा	तत्कालीन क्षेत्रीय प्रधान	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	18.12.2009	सेवा से बर्खास्त
34	ए के सेन	तत्कालीन शाखा प्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	18.12.2009	सेवा से बर्खास्त
35	पी के झा	वरिष्ठ प्रबंधक	केनरा बैंक	24.12.2009	कोई वेतनवृद्धि नहीं तथ स्थगन प्रभाव के साथ एक वर्ष के लिए 1 चरण द्वारा कटौती
36	बी रंजन	प्रबंधक	केनरा बैंक	24.12.2009	अनिवार्य सेवानिवृत्ति
37	टी आर बावा	वरिष्ठ प्रबंधक	केनरा बैंक	24.12.2009	सेवा से हटाया गया जो भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता होगी ।
38	एम आर भल्ला	तत्कालीन क्षेत्रीय प्रधान	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	24.12.2009	वेतन के समय मान में 34 चरणों द्वारा कटौती ।
39	डी कलईचेवन	तत्कालीन सी एम	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	24.12.2009	सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति
40	यू बी साहा	प्रबंधक	केनरा बैंक	24.12.2009	17,680/- रू0 के मूल वेतन के साथ एमएमजीएस II से जेएमजीएस I के निचले ग्रेड में वापसी
41	शेट्टी बी वेणुगोपाल	ए जी एम	केनरा बैंक	24.12.2009	संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए चार चरणों द्वारा कटौती
42	एच बिस्वास	डी जी एम	केनरा बैंक	30.12.2009	कोई वेतनवृद्धि नहीं तथा स्थगन प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए 2 चरणों द्वारा कटौती
43	अनुराधा वी कामथ	लिपिक	केनरा बैंक	30.12.2009	सेवानिवृत्ति लाभ के साथ तथा बिना अयोग्यता के सेवा से हटाया गया
44	नवलकर पी आर	निरीक्षक	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	09.12.2009	अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति लगाई गई

45	राणे यू बी	निरीक्षक	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	09.12.2009	अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति लगाई गई
46	नटराजन पी	निरीक्षक	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	09.12.2009	अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति लगाई गई
47	पाटिल आर ए	निरीक्षक	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	09.12.2009	अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति लगाई गई
48	घारत एस के	निरीक्षक	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	09.12.2009	अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति लगाई गई
49	राजेश झिंगन	कार्यकारी निदेशक	इंडियन ऑयल का0 लि0	03.12.2009	संचयी प्रभाव के साथ 2 चरणों द्वारा मूल वेतन की कटौती
50	रेवतकर दीपक भगवानजी	उप सी एम ई	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि0	22.12.2009	एक वर्ष की अवधि के लिए समय मान में निचले चरण की कटौती
51	यादव बासुदेव प्रसाद	अधीक्षक	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि0	22.12.2009	एक वर्ष की अवधि के लिए समय मान में निचले चरण की कटौती
52	दास प्रबोध कुमार	वरिष्ठ सर्वेक्षण अधिकारी	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि0	22.12.2009	एक वर्ष की अवधि के लिए समय मान में निचले चरण की कटौती
53	श्यामन बी	तत्कालीन एईई अब ए डी	जल संसाधन मंत्रालय	30.12.2009	पेंशन लाभ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होने के साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति ।
54	दिनेश कुमार मनोचा	ए ए ओ	दिल्ली विकास प्राधिकरण	03.12.2009	संचयी प्रभाव के साथ 2 वर्षों के लिए दो चरणों (दो वेतनवृद्धि के समकक्ष) द्वारा वेतन की कटौती ।
55	जे पी गुप्ता	ए ओ	दिल्ली विकास प्राधिकरण	09.12.2009	दो वर्षों के लिए पेंशन में 10% की कटौती
56	मनोचा डी के	ए ए ओ	दिल्ली विकास प्राधिकरण	09.12.2009	संचयी प्रभाव के साथ दो चरणों द्वारा वेतन की कटौती
57	सिंह आजाद	उच्च श्रेणी लिपिक/खजांची	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	10.12.2009	संचयी प्रभाव के साथ दो वर्षों के लिए दो चरणों

			सरकार		द्वारा वेतन की कटौती
58	रविन्द्र सिंह	ई ई	दिल्ली नगर निगम	11.12.2009	संचयी प्रभाव के साथ एक वर्ष के लिए एक चरण द्वारा वेतन की कटौती
59	संजीव जैन	जे ई	दिल्ली नगर निगम	17.12.2009	संचयी प्रभाव के साथ दो वर्षों के लिए दो चरणों द्वारा वेतन की कटौती
60	बाबू मेनोकी	अनुभाग अधिकारी	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	17.12.2009	3 वर्षों की अवधि के लिए वेतन के समय मान में 3 चरणों द्वारा कटौती ।
61	मोहिन्दर कुमार	लेखाकार	दिल्ली विकास प्राधिकरण	17.12.2009	संचयी प्रभाव के साथ दो वर्षों के लिए दो चरणों द्वारा वेतन की कटौती ।
62	एच एस कोहली	ई ई	शहरी विकास मंत्रालय	17.12.2009	संचयी प्रभाव के बिना दो वर्षों की अवधि के लिए दो चरणों द्वारा कटौती ।
63	वी डी नन्दा	संयुक्त एफ ए(एच)	दिल्ली विकास प्राधिकरण	18.12.2009	एक वर्ष के लिए पेंशन में 5% की कटौती
64	गोयल आर ए	जे ई	दिल्ली नगर निगम	22.12.2009	संचयी प्रभाव के साथ दो वर्षों के लिए दो चरणों द्वारा वेतन की कटौती ।
65	सिंह सुरेन्द्र	प्रधान लिपिक	दिल्ली नगर निगम	23.12.2009	एक वर्ष के लिए पेंशन में 2% की कटौती
66	ए के शर्मा	ए ई	दिल्ली विकास प्राधिकरण	24.12.2009	संचयी प्रभाव के साथ एक वर्ष के लिए समय मान में एक वेतनवृद्धि की कटौती ।
67	अली अशरफ	ए ई	दिल्ली नगर निगम	31.12.2009	संचयी प्रभाव के साथ दो वर्षों के लिए दो चरणों द्वारा वेतन की कटौती ।
68	देवेन्दर सिंह	डी सी के0औ0सु0बल	गृह मंत्रालय	02.12.2009	अनिवार्य सेवानिवृति